

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2014/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

11 FEB 2015

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नवसृजित पंचायत समितियों के लिए  
डी.एस.सी. बनवाए जाने के क्रम में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सभी प्रकार के भुगतान  
ई-एफएमएस के माध्यम से किये जा रहे हैं। उक्त भुगतान ब्लॉक स्तर पर Accountant and  
BDO के एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक व्ययों का भुगतान लेखाधिकारी/सहायक  
लेखाधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के डिजिटल  
सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा किया जाता है।

पंचायतीराज संस्थाओं के पुर्नगठन के उपरान्त नई पंचायत समितियों का सृजन किया गया  
है। नवसृजित पंचायत समितियों में कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास  
अधिकारी के पदस्थापन की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु वैकल्पिक तौर पर अतिरिक्त  
कार्यभार की व्यवस्था स्थानीय स्तर से कर दी गयी है अथवा की जा रही है। महात्मा गांधी  
नरेगा योजनान्तर्गत भुगतान हेतु कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी  
तथा लेखाकार्मिक के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होने आवश्यक है।

अतः नवसृजित पंचायत समितियों के उक्त अधिकारियों अर्थात् कार्यक्रम अधिकारी महात्मा  
गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी तथा लेखाकार्मिक के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)  
नहीं होने की स्थिति में बनवाए जाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करते हुए मुख्यालय को प्रेषित करने  
का श्रम करावे, ताकि समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(कन्हैयालाल स्वामी)

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
2. जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/ बाड़मेर।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस